संख्या-24/2015/87/47-का-3-2015-13/34/2006

प्रेषक,

राजीव कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग
तृतीय तल, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।

कार्मिक अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनांक : 07 अप्रैल, 2015**

विषय- उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/ चयनों में आबद्ध किए जाने वाले पर्यवेक्षकों/ पेपर सेटर्स/ विशेषज्ञों आदि की पारिश्रमिक की दरों का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयोग के पत्र संख्या-04/गोपन अनुभाग-1/2015-4, दिनांक 08.01.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा सम्पादित किए जाने वाले चयनों/ परीक्षाओं में आमंत्रित किए जाने वाले विशेषज्ञों, पेपर सेटर्स/ अन्तरीक्षकों आदि के पारिश्रमिक की दरें तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत निर्धारित किए जाने की राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

पर्यवेक्षकों आदि से संबंधित दरें

क्र.सं.	पदनाम	पारिश्रमिक की दरें (रूपयों में)
1.	समन्व्यी पर्यवेक्षक	1000.00 प्रतिदिन
2.	सहायक समन्वयी पर्यवेक्षक	630.00 प्रतिदिन
3.	पर्यवेक्षक	630.00 प्रतिदिन
4.	सहायक पर्यवेक्षक	500.00प्रतिदिन
5.	अन्तरीक्षक	400.00 प्रतिदिन
6.	लिपिक	340.00 प्रतिदिन
7.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	150.00 प्रतिदिन

विशेषज्ञों से संबंधित दरें

क्र.सं.	पदनाम	पारिश्रमिक की दरें (रूपयों में)
1.	पेपर सेटर्स	1500.00 प्रति प्रश्न-पत्र
2.	माडरेटर्स	1000.00 प्रति प्रश्न-पत्र
3.	परीक्षक	40.00 प्रति उत्तर पुस्तिका, किन्तु उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या 24 से कम होने पर रू0-1000.00 एवं नियमानुसार टी.ए. /डी.ए. (केन्द्रीय मूल्यांकन की स्थिति में)
4.	साक्षात्कार हेतु बुलाये गये विशेषज्ञ	1500.00 प्रतिदिन एवं नियमानुसार टी.ए./ डी.ए.
5.	आयोग कार्यालय में पेपर सेटर्स/ समीक्षकों की बैठकों में उपस्थित हाने के लिए	1500.00 प्रतिदिन एवं नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
6.	आयोग कार्यालय में केन्द्रीय मूल्यांकन में आमंत्रित मुख्य परीक्षकों/ प्रादर्श उत्तर निर्माताओं हेतु	1500.00 प्रतिदिन एवं नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
7.	प्रश्नांश लेखक (आइटम राइटर्स)	30.00 प्रति आइटम 60.00 प्रति अनुमोदितआइटम
8.	कार्यशाला के अतिरिक्त अन्य गोपनीय कार्यों से आयोग कार्यालय में आमंत्रित किए जाने वाले विशेषज्ञों/ त्रुटि निवारक परीक्षकों हेतु	1125.00 प्रतिदिन तथा नियमानुसार टी.ए./डी.ए.
9.	स्कोरर्स	700.00 प्रतिदिन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- अनुरोध है कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं/ चयनों में उपर्युक्त दरों पर पारिश्रमिक/ मानदेय का भुगतान करने का कष्ट करें।

3- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-जी-1-185-दस-2015, दिनांक 01/04/2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-24/2015/87(1)/47-का-3-2015-13/34/2006,तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (प्रथम/ द्वितीय) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5.
5. वित्त (सामान्य) अनुभाग-1.
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2.

आज्ञा से

(पी0बी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।